

कार्यालय आदेश

शासनादेश संख्या-626/V-2/21-5(आ0)/17 टी0सी0 दिनांक 17 मार्च, 2021 के अनुसार वर्ष 2016 से पूर्व के विनियमित क्षेत्रों को छोड़कर नये सम्मिलित क्षेत्रों में मानचित्र स्वीकृति की प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक स्थगित किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में जनपद-उधमसिंह नगर में वर्ष 2016 में विद्यमान रहे 04 विनियमित क्षेत्रों की सीमा में अग्रिम आदेशों तक मानचित्र स्वीकृत कराने की कार्यवाही की जायेगी। शेष क्षेत्रों में उक्त कार्यवाही स्थगित रहेगी। उक्त विनियमित क्षेत्रों में सम्मिलित ग्रामों की सूची निम्नानुसार है:-

शासनादेश संख्या-3177V/आ0-2006-179(आ0)/06 दिनांक 15 नवम्बर 2006 के अनुसार-

विनियमित क्षेत्र रुद्रपुर

- 01-जिला उधमसिंह नगर में नगर पालिका परिषद, रुद्रपुर की सीमा के भीतर पड़ने वाला क्षेत्र।
02-जिला उधमसिंह नगर की तहसील रुद्रपुर के निम्नलिखित ग्रामों की सीमा के भीतर आने वाला क्षेत्र।

01. लमरा	07. विगवाडा	13. दानपुर	19. लालपुर	25. श्रीरामपुर
02. भूडारानी	08. शिमला बहादुरपुर	14. फुलसुगा	20. कोलडा	
03. फाजलपुर महरौला	09. कल्याणपुर	15. फुलसुगी	21. कोलडिया	
04. रम्पुरा	10. छतरपुर	16. भमरौला	22. रायपुर	
05. जगतपुर	11. मटकोटा	17. शिमला पिरस्तौर	23. विजयनगर	
06. रुद्रपुर	12. विन्दुखेडा	18. कोटा	24. जयनगर	

शासनादेश संख्या-1938/6-आ-3-61-50 एच/57 दिनांक 09 दिसम्बर 1991 के अनुसार-

विनियमित क्षेत्र किच्छा

- 01-जिला नैनीताल में, किच्छा नगरपालिका की सीमा के भीतर पड़ने वाला क्षेत्र।
02-जिला नैनीताल में, तहसील रुद्रपुर के निम्नलिखित ग्रामों की सीमा के भीतर पड़ने वाला क्षेत्र।

01. वण्डिया	02. किशनपुर	03. सोनेटा	04. सिरौली कला	05. सिरौली खुर्द
-------------	-------------	------------	----------------	------------------

शासनादेश संख्या-3830(6)/9-आ-3-916-आर0 ए0-91 दिनांक 19 जून 1992 के अनुसार-

विनियमित क्षेत्र काशीपुर

- 01- नगरपालिका काशीपुर, जिला नैनीताल की सीमा के भीतर पड़ने वाला क्षेत्र।
02-तहसील काशीपुर, जिला नैनीताल के निम्नलिखित ग्रामों की सीमा के भीतर पड़ने वाला क्षेत्र।

01. कुण्डा	09. कुदइया वाला	17. कुआ खेडा	25. पसियापुर	33. कचनाल गोसाई
02. बेतवाला	10. लालपुर	18. टाडा उज्जैन	26. खडकपुर देवीपुरा	34. खोखराताल
03. कचनोल गाजी	11. हरियावाला	19. ढकिया गुलाबो	27. कुण्डेसरा	35. गिन्नी खेडा
04. मानपुर	12. सरवरखेडा	20. रायपुर खुर्द	28. नन्दरामपुर	36. बासखेडा खुर्द
05. रम्पुरा	13. जसपुर खुर्द	21. गगापुर रकवा	29. जैतपुरी घोसी	
06. नीझडा	14. गगापुर गोसाई	22. बसई	30. साडखेडा	
07. बेलजूडी	15. कुण्डेश्वरी	23. शाहगंज	31. हेगपुर इस्माईलपुर	
08. मिसारवाला	16. शिवलालपुर डल्लू	24. बासखेडा कला	32. दोहरी परसा	

५

सरकारी गजट, गृह व्यवस्था विभाग, उत्तर प्रदेश दिनांक 08 नवम्बर 1958 के अनुसार—

विनियमित क्षेत्र बाजपुर
गौना इस्लाम नगर(गझारा फ़ा, गझारा बवश) चक्रपुर(गझारा आलापुर), मुण्डिया पिरतौर, कला, खमरिया

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

B/jwari
(बंशीधर/तिवारी)
उपाध्यक्ष,

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
उधमसिंह नगर

कार्यालय जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर।
पत्रांक-400/वरि0लि0-वि0क्षे0/2021 दिनांक / 8 मार्च, 2021

प्रतिलिपि निम्नोक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

01. निजी सचिव, सचिव आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
02. आयुक्त, कुमाऊँ गण्डल, नैनीताल/अध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उ0सिं0 नगर
03. जिला सूचना अधिकारी, उधमसिंह नगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त का प्रचार-प्रसार कराने का कष्ट करें।
04. सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर को अनुपालनार्थ।
05. सगस्त अधिकारी/कर्मचारीगण जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उधमसिंह नगर को अनुपालनार्थ।
06. गार्ड फाईल।

B/jwari
(बंशीधर/तिवारी)
उपाध्यक्ष,

जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
उधमसिंह नगर